बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9473191199, 9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिव:- * राजचन्द्र वार्लियार
* अनिल कुमार

कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

पत्रांक : 04 दिनांक 8/2/2013

सेवा में,

श्री अंजनी कुमार सिंह, भा.प्र.से.
मा० मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।

विषयः- बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के समस्याओं के संदर्भ में।

महाशय,

संघ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को चार बिन्दुओं पर वार्ता हेतु अनुरोध किया है:-

निदेशानुसार उपरोक्त वर्णित विषयों पर विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार दी जाती है:-

1. (i) छठे वेतनमान के निमित्त, गठित आयोग के अनुरूप मंत्रिमंडल की स्वीकृति के उपरान्त वेतन निर्धारण के संबंध में संकल्प 630 दिनांक-21.10.10 निर्गत किया गया। इस संकल्प के कंडिका-8 वर्णित है दिनांक-01.01.06 के बाद नियुक्ति पदाधिकारी को Sche-II के अनुरूप वेतन दिया जायेगा जिसके अनुसार 01.01.06 के बाद नियुक्त पदाधिकारियों का वेतन वैण्ड 14880 एवं ग्रेड पे 5400 जोड़कर कुल 20280 निर्धारित कर वेतन पुर्जा निर्गत किया परन्तु गत वर्ष 2012 में उक्त वेतन पुर्जा का संशोधित वेतन पुर्जा निर्गत किया गया जिसमें 01.01.06 के बाद नियुक्त पदाधिकारियों का वेतन बैण्ड 9300 एवं ग्रेड पे 5400 जोड़कर 14700 कर दिया गया है ऐसा करना संकल्प 630 दिनांक-21.10.10 एवं कार्यपालक नियमावली के प्रावधान के विरूद्ध है। इसके लिए वित्त विभाग एवं माननीय उप मुख्यमंत्री से अनुरोध किया जा चुका है।

(ii) बिहार प्रशासनिक सेवा के 43वीं से 45वीं बैच के पदाधिकारियों की सेवा में योगदान की तिथि 01.01.2006 के पूर्व की है तथा 01.01.2006 को इन सभी बैच के पदाधिकारियों की सेवा अवधि 4 वर्ष से कम थी। पूर्व में इन सभी बैच के पदाधिकारियों का वेतन पूर्जा पी.बी.-2 ग्रेड पे-5400 में वित्त विभाग के संकल्प संख्या-630 दिनांक-21.01.2010 की कंडिका-7 के आलोक में निर्गत किया गया था।

पुनः इस सभी बैच के पदाधिकारियों को संशोधित वेतन पूर्जा निर्गत करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है जिसमें इनके वेतन का निर्धारण पी.बी.-2 में 01.01.2006 को इनके द्वारा पुराने वेतनमान में प्राप्त किए जा रहे वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा कर ग्रेड पे 5400 जोड़कर निर्गत किया जा रहा है जो कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या-630 दिनांक-21.01.2010 की कंडिका-7 में वर्णित प्रक्रिया के विरूद्ध है क्योंकि इस प्रकार वेतन निर्धारित करने से न केवल अपने से कनीय 46 वीं बैच के बि.प्र.से. के पदाधिकारियों से इनका वेतन कम निर्धारित हो रहा है वरन् सरकार के द्वारा बि.प्र.से. को

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800 001
(पंजीयन सं०-633/2003)
Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9473191199, 9431479774
महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम
संयुक्त सचिव:- * राजचन्द वार्डियार
* अनिल कुमार
कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

पत्रांक :.................................. दिनांक ....

अन्य प्रीमियर राज्य सेवा के साथ दिनांक-01.01.2006 के प्रभाव से ८000-13500 का प्रवेश वेतनमान स्वीकृत किए गए निर्णय की भी अवहेलना हो रही है। इसके लिए वित्त विभाग एवं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया जा चुका है।

(iii) रूपान्तरित वित्तीय उन्नयन दिनांक-01.01.09 से लागू किया गया जिसमें 10,20,30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन देने का प्रावधान किया गया। इस संदर्भ में कहना है कि :-

(a) 40, 41, 42वी बैच के पदाधिकारियों की नियुक्ति क्रमशः 1997, 1999 एवं 2000 वर्ष में हुई जिसकी सेवा 01.01.09 को या उसके बाद की तिथि में 10 वर्ष पूरी हो चुकी हैं परन्तु उन्हें प्रथम रूपान्तरित वित्तीय उन्नयन का लाभ नहीं दिया गया है जबकि पुलिस सेवा, पुशपालन सेवा, अभियंत्रण सेवा एवं वित्त सेवा के इन बैच के पदाधिकारियों को प्रथम वित्तीय उन्नयन दिया जा चुका है इस संदर्भ के संघ द्वारा कई बार वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग से अनुरोध किया जा चुका है।

(b) बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के साथ-साथ अन्य प्रांमियम सेवा के पदाधिकारी को प्रवेश वेतनमान पी.बी.-2 ग्रेड पे-5400 दिया गया। चार वर्ष की सेवा पुरी करने एवं सेवा सम्पुष्टि होने पर पी.बी.-3 एवं गेड पे-5400 दिया गया। वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक-8710 दिनांक-19.09.10 द्वारा यह आदेश निर्गत हुआ "की चार वर्ष की सेवा पूरी करने एवं सम्पुष्टि के उपरान्त पी.बी-2 ग्रेड पे 5400 से पी.बी-3 ग्रेड पे 5400 परिवर्तन को प्रथम रूपांतरित वित्तीय उन्नयन माना जाए।" एम.ए.सी.पी. में वित्तीय उन्यन प्राप्त होने पर अगला ग्रेड पे देने का प्रावधान है। इसमें कही भी पे-बैण्ड को आधार नहीं माना गया है। पी.बी.-2 ग्रेड पे-5400 से पी.बी-3 ग्रेड पे-5400 परिवर्तन होने पर ग्रेड पे यथावत् 5400 ही रहता है साथ ही चार वर्ष की सेवा पूरी होने पर पी.बी-2 में जो वेतन निर्धारित होती है पी.बी-3 में परिवर्तन होने पर भी उतने पर ही पे बैण्ड में वेतन निर्धारित होती है इस प्रकार उक्त तिथि को कोई वित्तीय लाभ नही होता है तो वित्तीय उन्नयन कैसा? वित्त विभाग की इस परिभाषा के अनुसार चार वर्ष की सेवा पुरी होने पर ग्रेड पे पी.बी-3 5400 को प्रथम रूपान्तरित वित्तीय उन्नयन तदोपरांत 10 वर्ष पर यानि 14 वर्ष दूसरा वित्तीय उन्नयन पी.बी-3 ग्रेड पे-6600 एवं तदोपरांत 10 वर्ष की सेवा पुरी होने यानि 24वर्ष पर तीसरा वित्तीय उन्नयन पी.बी-3 ग्रेड पे-7600 प्राप्त होगा जो रूपान्तरित वित्तीय उन्नयन के संकल्प के मूल अवधारणा की 30 वर्ष पर तीन वित्तीय उन्नयन ग्रेड पे-5400 से ग्रेड पे-6600, ग्रेड पे-6600 से ग्रेड पे-7600 एवं ग्रेड पे-7600 से ग्रेड पे-8700 मिलने से वंचित करता है।

सुशील

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9473191199, 9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिव:- * राजनन्द वार्डिवार
* अनिल कुमार

कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

पत्रांक :.................................. दिनांक ....

अतः वित्त विभाग द्वारा निर्गत उक्त पत्र को विलोपित करने की आवश्यकता है। संघ द्वारा इस संबंध में कई बार वित्त विभाग एवं माननीय उप मुख्यमंत्री से अनुरोध किया जा चुका है

2. बिहार प्रशासनिक सेवा का पुनर्गठन 01.04.10 से होने के उपरान्त सम्वर्गीय पद 2878 से घटाकर 851 हो गयी जबकि उस वक्त पदाधिकारियों का संख्या लगभग 1600 थी। 750 पदाधिकारियों अतिरिक्त होने के कारण प्रोन्नति वाधित हो गई। मूल कोटि से उप सचिव एवं उप सचिव से अपर समाहर्त्ता में वर्ष 2011 तक कोई प्रोन्नति नहीं हुई। वर्ष 2012 में उप सचिव से अपर समाहर्त्ता में प्रोन्नति का रास्ता साफ हुआ लेकिन वर्ष 2012 में मूल कोटि से उप सचिव में कोई प्रोन्नति नहीं हुई। संघ की मांग रही है कि गैर सवर्गीय पदों पर पदस्थापन के विरूद्ध प्रोन्नति दी जाए ताकि प्रोन्नति में Stagnation समाप्त हो सके। 01.01.13 को पदाधिकारियों की संख्या-लगभग 1300 है जो स्वीकृत बल से अभी भी करीब 450 अधिक है। सेवा पुर्नगठन के कंडिका 6 में वर्णित हैं कि " **बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के फलस्वरूप पदों के अवक्रमण/उत्क्रमण/सृजन अथवा पदाधिकारियों की पदस्थापना के क्रम में इस संक्रमण अवधि में समस्यायें उत्पन्न हो सकती है। ऐसी समस्याओं के समाधान हेतु माननीय मुख्य मंत्री प्राधिकृत होंगे।"**

इस संदर्भ में संघ द्वारा कई बार सामान्य प्रशासन से अनुरोध किया जा चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री से आदेश प्राप्त कर गैर सम्वर्गीय पद पर पदस्थापन के विरूद्ध प्रोन्नति के साथ अन्य बिन्दु पर BAS Rule पारित की जाए ताकि प्रोन्नति में Stagnation को दूर हो सके। BAS Rule का गठन मुख्य सचिव स्तर पर होना है।

संघ का अनुरोध है कि BAS Rule को पारित कराया जाय।

3. गोपनीय अभ्युक्ति अभिलेख के संदर्भ में प्रावधान यह है कि **प्रतिवेदक पदाधिकारी द्वारा गोपनीय अभ्युक्ति नहीं लिखे जाने की स्थिति में उनके गोपनीय चारित्री में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की जायेगी** परन्तु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज तक कितने प्रतिवेदित पदाधिकारी के गोपनीय अभ्युक्ति में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की है। संघ को इसकी जानकारी नहीं हैं। संघ का तात्पर्य यह नहीं है कि प्रतिवेदित पदाधिकारी के गोपनीय अभ्युक्ति में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज हो क्योंकि इससे संघ के पदाधिकारियों को कोई लाभ नहीं होता है बल्कि गोपनीय अभ्युक्ति नहीं लिखे जाने के कारण उनका प्रोन्नति एवं वित्तीय उन्नयन का नुकसान होता है। यथा वर्ष 11-12 में चारित्री अभाव के कारण प्रथम वित्तीय उन्नयन, द्वितीय वित्तीय उन्नयन एवं द्वितीय रूपान्तरित वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः 43, 13 एवं 41 पदाधिकारियों को नहीं मिल पाया। उसी प्रकार वर्ष 11-12 में

क्रमशः

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9473191199, 9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम
संयुक्त सचिव:- * राजचन्द वार्डियार
* अनिल कुमार
कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

पत्रांक :.............................. दिनांक ....

संयुक्त सचिव स्तर एवं अपर समाहर्त्ता स्तर में क्रमशः 23 एवं 28 पदाधिकारियों का प्रोन्नति नहीं हो सका। प्रतिवेदित पदाधिकारियों द्वारा गोपनीय अभ्युक्ति नहीं लिखे जाने की स्थिति में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का कोई दोष नहीं होता है फिर भी उन्हें दंडित होना पड़ता है। इस संदर्भ में संघ की मांग रही है कि उक्त प्रावधान में बदलाव लाया जाए। प्रस्ताव यह है कि केन्द्र सरकार के अनुरूप 31 दिसम्बर तक गोपनीय अभ्युक्ति प्राप्त नहीं होने पर पदाधिकारी को प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन का लाभ दे दी जाय।

उपरोक्त संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री के निदेश पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत पत्र 1836 दिनांक-01.02.13 से यह निदेश निर्गत है कि "जिस वर्ष की गोपनीय अभ्युक्ति अभिलेखित नहीं हो पायी हो वैसे वर्ष के लिए संबंधित सरकारी सेवक के वर्तमान पदस्थापन स्थान के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/ नियंत्री प्राधिकार द्वारा संबंधित सरकारी सेवक के कार्य-कौशल, चरित्र, आचरण आदि का मूल्यांकन करते हुए विशेष चारित्री प्रमाण पत्र दिया जायेगा। लेकिन ऐसा सिर्फ वर्ष 2010-11 तक के लिए ही लागू होगा।" संघ इसका स्वागत करता है एवं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करता है। संघ अनुरोध करता है कि उपरोक्त प्रावधान आने वाले सभी वर्षों के लिए लागू किया जाय या केन्द्र सरकार के अनुरूप प्रावधान करवाया जाय ताकि आने वाले वर्षों में प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन वाधित न हो।

4. संघ एवं सरकार के बीच दिनांक-29.03.99 को यह समझौता हुआ था कि बिहार प्रशासनिक सेवा के 5 पदाधिकारियों का पदस्थापन जिला पदाधिकारी के पद पर किया जायेगा। लेकिन उक्त समझौता का अनुपालन नहीं हो सका है। अन्य राज्योंयथा- असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मिजोरम, राजस्थान, जम्मू एवं काश्मीर एवं उत्तरप्रदेश में वहाँ के राज्य सेवाओं के पदाधिकारियों का पदस्थापन जिला पदाधिकारी के रूप में किया जाता है जिसकी प्रति संलग्न की जाती है।

संघ का अनुरोध है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव स्तर के पदा. के लिए पांच पद जिला पदाधिकारी के रूप में पदस्थापन का प्रावधान कराकर पदस्थापन कराया जाय।

विश्वासभाजन

सुशील 8/4/13

(सुशील कुमार)

महासचिव